NOC from the Forest Department

24. SH. PARDEEP CHAUDHRY (KALKA):

Will the Forest Minister be pleased to statewhether it is a fact that the NOC from the Forest Department is required to construct house/shops in the villages of Morni Block of Kalka Assembly Constituency; if so, the reasons therefor?

Sh. Kanwar Pal, Forest Minister, Haryana

Such areas, of villages of Morni Block, that are notified under Special Section 4 & Section 5 of Punjab Land Preservation Act, 1900 or under IndianForest Act, 1927 require prior approval of Government of India, as per provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 for undertaking any non forestry activity. Non notified areas don’t need approval of Forest Department.

वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना

24. श्री प्रदीप चौधरी (कालका):

क्या वन मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे?

क्या यह सत्य है कि कालका विधानसभा क्षेत्र के मोरनी ब्लॉक के गांव में घर/दुकान के निर्माण के लिए वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी? यदि ऐसा है तो इसका कारण स्पष्ट करें।

श्री कंवर पाल, वन मंत्री, हरियाणा

मोरनी ब्लॉक के ऐसे क्षेत्र जो पंजाब भूमि परिरक्षण अधिनियम, 1900 की विशेष धारा 4 व धारा 5 अथवा भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत अधिसूचित है, इन क्षेत्रों में कोई भी गैरवानिकी गतितिधि हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार की पूर्वानुमति लेना आवश्यक है। गैर अधिसूचित क्षेत्रों में वन विभाग की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है।